संख्याःएएचवाई-बी(12)-1/2010
हिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभाग

प्रेषक

सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

निदेशक,
पशुपालन विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005
दिनांक शिमला-171002 18-6-2010

विषयः मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को तैनात करने बारे दिशा-निर्देश (Guidelines) ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय पत्र संख्याः एएचवाई-एच(11)एफ 2(31) /2010 दिनांक 5 जुन, 2010 के सन्दर्भ में मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को तैनात करने बारे दिशा-निर्देश की स्वीकृति निम्न रूप से प्रदान की जाती हैः-

मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना

1 संस्थान स्थापना :-

मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अर्न्तगत यह प्रस्तावित है कि जिन पंचायतों में पशु औषधालय नहीं हैं वहाँ स्थानीय पंचायत के नियन्त्रण में पशु औषधालय खोले जाऐंगें, जिसके लिये सम्बन्धित पंचायत को निःशुल्क भवन उपलब्ध करवाना होगा ।

- प्रथम वरीयता में यह संस्थान उन पंचायतों में खोले जायेगें जहाँ पंचायत द्वारा निःशुल्क भवन उपलब्ध किया जायेगा और जहाँ सेवा निवृत पशु औषधियोजक / पशुपालन सहायक/ मुख्य पशु औषधियोजक अथवा नव प्रशिक्षित पशु औषधियोजक, पंचायत पशु चिकित्सा सहायक (Panchayat Vety. Assistant) के रूप में 5000/- रूपये प्रतिमास के मानदेय पर सेवायें प्रदान करने के लिये उपलब्ध होंगें।
- द्वितीय वरीयता में यह संस्थान उन पंचायतों में खोले जायेगें जहाँ पंचायत द्वारा निःशुल्क भवन उपलब्ध करवाया जायेगा और जहाँ प्रशिक्षणाधीन पशु औषधियोजक अथवा सेवा निवृत पशु औषधि योजक, पशु पालन सहायक, मुख्य पशु औषधियोजक पंचायत पशु चिकित्सा सहायक (Panchayat Vety. Assistant) के लिये उपलब्ध हो जायेगा ।

2 संस्थान में पंचायत पशु चिकित्सा सहायक सेवायें :-

(क) सेवा निवृत पशु औषधियोजक /पशु पालन सहायक/ मुख्य पशु औषधियोजक की सेवा व शर्तें :-

सेवा निवृत पशु औषधियोजक की सेवायें निम्नलिखित शर्तों पर की जायेंगीः-

- आवेदक हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग से पशु औषधियोजक / पशु पालन सहायक / मुख्य पशु औषधियोजक के पद से सेवा निवृत हुआ हो ।
- आवेदक की आयु 63 वर्ष से अधिक न हो ।
- सेवा में रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी ।

(ख) नव प्रशिक्षित पशु औषधियोजक डिप्लोमा आवेदकों के लिये सेवा शर्तें :-

- आवेदक ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से पशु औषधियोजक का दो वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

(ग) सामान्य शर्तें क व ख के लिये :-

- पंचायत पशु चिकित्सा सहायक पद के लिये नियुक्ति पंचायत प्रधान द्वारा पंचायत में पारित प्रस्ताव उपरान्त की जायेगी
- आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो व कार्य करने में सक्षम हो ।
- आवेदक कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये अपनी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये तैयार हो
- आवेदक को पंचायत के माध्यम से 5000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशी मान्य होगी ।
- आवेदक को सेवा अवधि के मध्य 1 दिन प्रति माह की दर से आकस्मिक अवकाश व वर्ष में कुल मिलाकर एक माह की अवधि के लिये बिना वेतन के अनुमति सहित अनुपस्थित रहने की सुविधा प्रदान की जायेगी ।
- आवेदक एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकेगा । पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अगर पंचायत पशु चिकित्सा सहायक का कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता तो ग्राम पंचायत को उसकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा
- आवेदक द्वारा पशु पालको को समीप के पशु चिकित्सा अधिकारी की देख रेख में सेवायें उपलब्ध करानी होगी ।
- आवेदक को विभिन्न अभिलेख बनाने होगें । आवेदक विभाग के उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करेगा ।
- आवेदक को मु0 5000/- रूपये की फिक्स डिपाजिट. जो पंचायत के नाम पर प्लेज हो धरोहर राशी के रूप में पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा और वह उसे सेवा समाप्ति पर कोई लेन देन न होने का प्रमाण पत्र (No due Certificate) के उपरान्त वापिस किया जायेगा । फिक्स डिपोजिट सेवा के दौरान आवश्यकता अनुसार नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- अन्य नियम, शर्तें व आदेश जो समय समय पर निर्धारित की जाएंगी का पालन भी आवेदको को करना होगा ।

3 संस्थान संचालन :-

संस्थान खोलने के लिये आवश्यक सामान प्रधान ग्राम पंचायत को विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जो पंचायत सचिव की जिम्मेवारी पर होगा व संस्थान में पंचायत द्वारा सेवारत पंचायत पशु चिकित्सा सहायक पावती पर उपलब्ध करवाया

जायेगा । कार्य प्रयोग के कारण नाकारा हुए सामान को पशु पालन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा बट्टे खाते में डाला जायेगा व उसके स्थान पर नया सामान उपलब्ध करवाया जायेगा

- संस्थान में औषधि/ वैक्सीन, वीर्य तृण ,तरल नत्रजन ,चारा बीज इत्यादि का प्रावधान विभाग द्वारा किया जायेगा ।
- विभिन्न पंजिकाएं जैसे बाह्य रोगी पंजिका, कृत्रिम गर्भाधान पंजिका, दैनिक कार्य एंव अन्य पंजिका, दैनिक व मासिक औषधि व्यय पंजिका, भण्डार पंजिका स्टेशनरी इत्यादि विभागीय संस्थानों की तरह बनाई जायेगी । पंजिकायें विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगीं ।
- संस्थान में पर्ची शुल्क/ अन्य शुल्क विभागीय दर पर प्राप्त किया जायेगा व जो निकटतम नियन्त्रक पशु चिकित्सालय में जमा करना होगा ।
- तकनीकी कार्य के लिये संस्थान निकटतम एंव निर्धारित पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण एंव मार्ग दर्शन में होगा । पशु पालन विभाग की स्कीमों को पशु चिकित्सा अधिकारी के मार्ग दर्शन में व उनके आदेशोंनुसार चलाई जाएगी ।
- संस्थान के बाहर/ पशु पालक के घर-द्वार पर सेवा प्रदान करने के लिये भ्रमण शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित दर पर लेने का हकदार होगा ।
- संस्थान खुलने का समय प्रातः 9-30 से 1-30 व सांय 2 से 4 बजे तक होगा । आपात कालीन सेवायें 24 घन्टे प्रदान करनी होगी ।
- भवन के बिजली ,पानी का बिल विभाग द्वारा अदा किया जायेगा ।

4 भर्ती के लिये प्रार्थना पत्र :-

सेवा निवृत पशु औषधियोजकों की भर्ती के लिये , आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये विभाग द्वारा दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा कि वह उस पंचायत प्रधान के माध्यम से जहाँ संस्थान खोला जाना है आवेदन दे व प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला के उप-निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन को करे ।

- यदि आवेदक चाहे तो अपने आवेदन में वह आस पास की दो अन्य पंचायतों के नाम भी दे सकता है जहां संस्थान खोले जाने हैं और यहां वह अपनी सेवायें उपरोक्त निर्धारित शर्तो पर देने के लिये तैयार हो ।
- प्रार्थना पत्र के साथ सेवा निवृति का दस्तावेज भी लगाना होगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

भवदीय,

अवर सचिव(पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या : एएचवाई–बी (12)– 1/2010
हिमाचल प्रदेश सरकार
पशु पालन विभाग ।

प्रेषक:

प्रधान सचिव (पशु पालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला–2.

प्रषित:

निदेशक,
पशु पालन विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–5.

दिनांक शिमला–2, 1/6/ 2010

विषय :– प्रदेश में आरम्भ होने वाले वित्त वर्ष में "**मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना**" के कार्यान्वयन की अनुमति प्रदान करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2010–11 के वित्तीय भाषण में मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उदेश्य से "**मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना**" आरम्भ करने की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत लगभग 1150 पचायतों जिनमें पशु चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हैं उनमें चरणबद्व तरीके से आगामी 3 वर्षों में पशु औषधालय खोले जाएंगे । उक्त घोषणा के कार्यान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि वैटरनरी फार्मासिस्टों का प्रशिक्षण पाने के उपरान्त सफल उम्मीदवारों को नये प्रस्तावित पशु औषधालयों में सम्बन्धित पंचायत द्वारा "पंचायत पशु चिकित्सा सहायक" के रूप में निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा :–

- दो वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को पंचायत द्वारा पंचायत पशु चिकित्सा सहायक के रूप में नियुक्त किया जायेगा।
- पंचायत पशु चिकित्सा सहायक को 5000/– रूपये मासिक मानदेय पर सम्बन्धित पंचायत द्वारा रखा जाएगा व पंचायत को यह राशि सहायता अनुदान के रूप में हिमाचल प्रदेश पशु विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- पशु चिकित्सा संस्थान के लिए दवाईयां व उपकरण पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश उपलब्ध करवायेगा।

- पंचायत पशु चिकित्सा सहायक समीप के पशु चिकित्सा अधिकारी व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगें व उनके द्वारा किए गये कार्य की प्रगति का व्यौरा सम्बधित पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई रिर्पोट के अनुसार अगर पंचायत पशु चिकित्सा सहायक का कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ग्राम पंचायत को उसकी सेवायें समाप्त करने का हक होगा।
- इस आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों को एक माह की सेवा सफलतापूर्वक एवं कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करने के उपरान्त 1 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा तथा प्रत्येक Calender Year में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश ही दिया जाएगा। इस अवकाश को सम्बन्धित पंचायत स्वीकृत करेगी ।
- जब तक कि यह प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सेवानिवृत पशु औषधियोजकों, पशुपालन सहायकों तथा मुख्य पशु औषधियोजकों (पैरावैटस) की सेवाएं 5000/– रूपये मासिक मानदेय पर सबन्धित पंचायतों द्वारा ली जाएंगी ।
- वैटनरी फार्मासिस्ट के प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम के अकों के आधार, अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार व तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त पंचायत/ प्रस्तावित पशु चिकित्सा संस्थान में 9 माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आगामी कार्यवाही करें तथा कार्यान्वयन रिपोर्ट से इस विभाग को भी अवगत करवाएं ।

भवदीय,

अवर सचिव (पशु पालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।